प्रेस नोट थाना उत्तर दिनांक 12-04-2025 जनपद फिरोजाबाद।

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा बबलू की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले अभियुक्त संजय उर्फ संजू उर्फ नसीरा को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा हत्या घटित करने वाले मु0अ0सं0 157/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना उत्तर में बबलू उर्फ बल्लू पुत्र झम्मन निवासी कोटला रोड़ चौकी के पीछे मौहल्ला दखल थाना फिरोजाबाद की हत्या में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्त संजय उर्फ संजू उर्फ नसीरा पुत्र बलवीर निवासी संतोष नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को बम्बा चौराहा ठेके के पास से दि0 12.04.2025 को सुबह समय 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

संजय उर्फ संजू उर्फ नसीरा पुत्र बलवीर निवासी संतोष नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद जाति सविता ने पूछताछ में बताया कि मैं जलजीरें का ठेला लगाता हूं और बेलदारी भी कर लेता हूं। बबलू उर्फ बल्लू से मेरी जान पहचान थी हम दोनों लोग पास-पास ही रहते हैं। हम दोनों देशी शराब ठेका कोटला चुंगी पर अक्सर शराब पीते थे और पैसे मिलकर कभी हम कभी बबलू दे दिया करते थे। दिनांक 19.03.2025 को भी रात करीब 09 से 10 बजे के बीच हम दोनों ने कोटला चुंगी ठेके पर शराब पी थी। मैं बबलू के कहने पर दो पौवा शराब लिया था जिसे हम दोनों ने पिया। इसके बाद मेरे पास पैसें खत्म हो गए तो दुबारा शराब पीने के लिये मैनें बबलू से कहा कि अब तुम शराब ले आओ तो बबलू ने शराब लाने से मना कर दिया और मुझे मां-बहिन की गाली देते हुये मुझे थप्पड़ मार दिया मुझे बहुत गुस्सा आया मैनें मन में उसी समय ठान लिया कि आज मैं इसे सबक सिखा दूंगा। उसके बाद जब बबलू नशे की हालत में पैदल-पैदल कोटला चुंगी चौराहे से अपने घर की तरफ मौहल्ला दखल की तरफ चल दिया तो मैं भी बबलू के पीछे-पीछे चल दिया, कुछ आगे जाने पर गली के मोड़ पर मैनें बबलू का हाथ पकड़ कर शराब पिलाने के बहाने बबलू को मौहल्ला दखल में खाली जमीन में बालू की टाल में ले गया। उसके बाद मैनें बालू के ढेर पर उसे धक्का मार कर गिरा दिया और हाथ से उसका गला दबा दिया और बालू के ढेर में मुंह दबा दिया। जब वह मर गया तो मैनें उसके पेंट में हाथ डालकर पैसे की तलाश की तो कुछ नही मिला, मैं वहां से अपने कपड़ों से रेत झाड़ते हुये वापस उसी रास्ते कोटला चुंगी चौराहे पर आकर पुल के नीचे आकर सो गया और सुबह उठकर घर चला गया। पुलिस लगातार मेरी फोटो को चौराहे और मौहल्ले में दिखाते हुये सभी दुकानदारों व अन्य लोगों से पूछताछ कर रही थी तो मैं डर के मारे घटना के दिन अपने

पहने हुये पेंट-शर्ट को नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में फेक दिया वह पेंट शर्ट मैनें कीर्ति मंदिर बरसाना से खरीदा था।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

संजय उर्फ संजू उर्फ नसीरा पुत्र बलवीर निवासी संतोष नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र 28 बर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास---

1. मु0अ0सं0 157/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0स0 272/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना रामगढ फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः---

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार पाण्डेय थाना उत्तर, फिरोजाबाद
2. अपराध निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह सोंलकी थाना उत्तर फिरोजाबाद
3. उ0नि0 सुनील कुमार चौकी प्रभारी ककरऊ कोठी थाना जनपद फिरोजाबाद
4. उ0नि0 विधान चन्द्र चौकी प्रभारी विभव नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद
5. उ0नि0 रितिक शर्मा थाना उत्तर फिरोजाबाद
6. है0का0 200 अशोक कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
7. का0 171 अजीत कुमार सोंलकी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद